भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर

पुन•क्र• I/निगरानी/टीकमगढ़/भू-रा/2017/3257

जयप्रकाश तनय सरमनलालगुप्ता निवासी एम•आई•जी• 191/भरहुतनगर सतना म•प्र•

••पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

1• श्रीमतिममता पत्नि आलोक कुमार चतुर्वेदी नि० सिंधीधर्मशाला के के पास टीकमगढ़म•प्र•

2• म०प्र०शासन द्वारा तत्कालीन पटवारी हल्का आलमपुरा तह• जिला टीकमगढ़ म•प्र•

••प्रतिपुनरीक्षणकर्ता

श्री ... द्वारा आज दि. 11-9-17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 11-9-17

पुनरीक्षण प्रस्तुत न्यायालय अनुविभागीयअधिकारी टीकमगढ़ के मामला क्र•31 अपील /2015-16मे पारित आदेश दिनांक2/8/17 के विरुद्ध

महोदय,

पुनरीक्षणकर्ता की विनय सादर प्रस्तुत है:

1• यह कि तहसील टीकमगढ़ अंतर्गत मौजा आलमपुरा शासकीय ख•न•284 रकबा 0•101हे0 पठार मद की भूमि अंकित हैजो झांसी टीकमगढ़ मुख्य मार्ग पर बेशकीमती लगा हुआहै उक्त भूमि को पटवारी के द्वारा प्रतिपुनरीक्षणकर्ता क्र•1को खसरे मे दिनांक22/1/1987 को तहसीलदार टीकमगढ़ का प्र०क्र० 39/अ-19-4/96-97 का लेख लिख कर अंकित की गई इससंबंध मे यह पूर्ण फर्जीकार्यवाही थी । जिसे नामांतरण पंजी क्र 45 वर्ष 97-98 मे दर्शाया गया था जब आवेदक ने उक्त नामांतरण पंजी के संबंध मे दिनांक 23/6/15 को नकल आवेदन दिया तब नकल शाखा से नकल आवेदन पर टीप अंकित की गई कि उक्त पंजी अपील प्र०क्र०97/2006-07 दिनांक f 19/11/07 को एस•डी•एम•टीकमगढ़ के यहां गनू तनय स्वामीयादव निवासी पहाड़ीखुर्द के प्रकरण मे भेजा गया है। जब उक्त नकलप्राप्त नही हुई तब अपीलार्थी/ पुनरीक्षणकर्ता ने अपील के साथ धारा 48 म•प्र•भ•रा•सं• 1959 का आवेदन दिया था और प्रमाणित प्रति से मुक्ति चाहने हेतु निवेदन किया था। तथा

verified by
MP Bhatnagar Adl

शाखा प्रभारी (रा.अ.) कार्यालय महाधिवक्ता, ग्वालियर
11/9/017

22.09.17

(16)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निग./टीकमगढ़/भू.रा./2017/3257

जयप्रकाश विरूद्ध श्रीमती ममता आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री एम.पी. भटनानगर उपस्थित । आवेदक अभिभाषक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ के क्रमांक 31/अपील/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 02-08-2017 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 11-09-2017 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर टीकमगड़ के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।	
2.1.19		

5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर टीकमगड़ को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 22-02-2019 को इस आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि लेकर कलेक्टर टीकमगड़ के न्यायालय में प्रस्तुत हो।

6. उक्त कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर टीकमगड़ के न्यायालय में भेज जाये।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये।

(आर.के. जैन)
सदस्य